




भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 614]
No. 614]

नई दिल्ली, शुक्रवार अक्टूबर, 25, 1996/कार्तिक 3, 1918
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 25, 1996/KARTIKA/ 3, 1918

गृह मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर, 1996

का० आ० 742 (अ).—संविधान के अनुच्छेद 243 एल० तथा अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह (पंचायत) विनियम, 1994 की धारा 185 द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा 23 अप्रैल, 1994 को जारी की गई अधिसूचना सं. का०आ० 324(ई), का०आ० 325(ई)/ का०आ० 326(अ) तथा का०आ० 327(अ) के द्वारा यथा संशोधित संविधान के अनुच्छेद 243- के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, भारत सरकार, गृह मंत्रालय की दिनांक 4 अक्टूबर, 1994 की अधिसूचना संख्या का०आ० सं० 725 (अ) (जिसे इसमें इसके बाद उक्त अधिसूचना कहा गया है) में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में "श्री आई० पी० गुप्ता, आई० ए० एस० (सेवानिवृत्त) को नियुक्त करते हैं" शब्दों, अक्षरों और कोष्ठकों के स्थान पर "श्री पाचाऊ रोहमिंगंगा को 25-10-96 से नियुक्त करते हैं," शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे।

[फा०सं० यू०-11022/2/94-यू०टी०एल०]

पी० के० जलाली, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी :—मुख्य अधिसूचना, दिनांक 4 अक्टूबर, 1994 को का०आ० 725 (अ) के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
NOTIFICATION

New Delhi, the 25th October, 1996

S.O. 742(E).—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 24K of the Constitution, as modified by the Government of India in the Ministry of Home Affairs Nos.S.O. 324(E), S.O. 325(E), S.O. 326(E), S.O. 327(E), all dated the 23rd April, 1994, issued in exercise of the powers conferred by article 243 L of the Constitution, and in exercise of the powers conferred by section 185 of the Andaman and Nicobar Islands (Panchayats), Regulation, 1994 the President is pleased to make the following amendments in the notifications, of the Government of India, Ministry of Home Affairs No. S.O. 725 (E) dated the 4th October, 1994 (hereinafter referred to as the said notification), namely :—

In the said notification for the words, letters and brackets "appoint Shri I.P. Gupta, IAS (Retd.)" the words, figures, letters and bracket "Appoint with effect from 25-10-1996 Shri Pachau Rohminghanga, IAS (Retd.)" shall be substituted.

[F. No. U.11022/2/94 UTL]

P.K. JALALI, Jt. Secy.

FOOT NOTE—The Principal notification was published in the Gazette of India vide No. S.O. 725 (E) dated the 4th October, 1994.

2622 GI/96